



एग्री आर्टिकल्स

(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)

वर्ष: 03, अंक: 06 (नवम्बर-दिसम्बर, 2023)

www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध

© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

(*डॉ. नेमी चन्द मीना¹ एवं ओमप्रकाश मीना²)

¹प्राचार्य, बी. आर. कृषि महाविद्यालय, साहवा, चुरू, राजस्थान

²मृदा वैज्ञानिक, काजरी, जोधपुर, राजस्थान

*संवादी लेखक का ईमेल पता: drncdmeenaagext2021@gmail.com

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। पीएम-किसान योजना को पहली बार तेलंगाना सरकार द्वारा रायथु बंधु योजना के रूप में लागू किया गया था, जहां एक निश्चित राशि सीधे पात्र किसानों को दी जाती थी। बाद में, 1 फरवरी 2019 को, भारत के अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान, पीयूष गोयल ने इस योजना को एक राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम-किसान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाएगी जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस योजना पर कुल वार्षिक खर्च 75,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है जिसे केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

पीएम-किसान योजना के उद्देश्य

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की गई है। यह योजना कई छोटे और सीमांत किसानों की आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। पीएम-किसान योजना के मुख्य उद्देश्य नीचे उल्लिखित हैं:

- सभी पात्र भूमि धारक किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करना।
- पीएम-किसान योजना का उद्देश्य अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न इनपुट खरीदने में किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।
- इस योजना से पीएम-किसान का कवरेज लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों तक बढ़ने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य रुपये के अनुमानित व्यय के साथ लगभग 2 करोड़ से अधिक किसानों को कवर करना है। 87,217.50 करोड़ रुपये का वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

पीएम-किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्रता

किसी भी छोटे या सीमांत किसान को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। नीचे लाभार्थियों की कुछ श्रेणियां दी गई हैं जो इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं:

1. कोई भी संस्थागत भूमि धारक।
2. किसान के साथ-साथ परिवार का कोई भी सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित है:
3. संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
4. पूर्व एवं वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री
5. लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य
6. नगर निगमों के पूर्व एवं वर्तमान महापौर
7. जिला पंचायत के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष।
8. केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों के अंतर्गत कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी।
9. सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिन्हें 10,000/- रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन मिलती है और उपरोक्त श्रेणी से संबंधित हैं।
10. कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले मूल्यांकन वर्ष में अपना आयकर चुकाया है, वह इस योजना के तहत पात्र नहीं है।
11. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके अपना पेशा चला रहे हैं।

योजना के तहत पात्र किसानों को अपने सत्यापन के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:

- नागरिकता प्रमाण पत्र
- जमीन के कागजात
- आधार कार्ड
- बैंक के खाते का विवरण

पीएम-किसान योजना के लाभ

पीएम-किसान योजनाओं के फायदे और प्रभाव नीचे दिए गए हैं:

- फंड का सीधा ट्रांसफर इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है। 25 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए
- किसानों से संबंधित सभी रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं जिससे पंजीकरण और फंड ट्रांसफर आसान हो गया है। डिजिटलीकृत रिकॉर्ड ने इस कल्याणकारी योजना की एक नई शुरुआत की है
- यह योजना किसानों की तरलता संबंधी बाधाओं को आसान बनाती है
- पीएम-किसान योजना कृषि के आधुनिकीकरण की सरकार की पहल की दिशा में एक बड़ा कदम है
- पीएम-किसान लाभार्थियों को चुनने में कोई भेदभाव नहीं है